



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273333
CG-DL-E-11062026-273333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2840]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2934(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के जौनपुर-अकबरपुर खण्ड के किमी० 108.500 से किमी० 139.000 (पैकेज-II) के 4 लेन में चौड़ीकरण (चौड़ीकरण//4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के जौनपुर-अकबरपुर खण्ड के किमी० 108.500 से किमी० 139.000 (पैकेज-II) के 4 लेन में चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: जौनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शाहगंज					
गांव का नाम: कनवरिया					
1	265	निजी	कृषि	0.037 (हेक्टेयर)	0.037
2	347	निजी	कृषि	0.0675 (हेक्टेयर)	0.0675
3	414	निजी	कृषि	0.0369 (हेक्टेयर)	0.0369
4	415	निजी	कृषि	0.0415 (हेक्टेयर)	0.0415
5	416	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
6	417	निजी	कृषि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
7	418	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
8	419	निजी	कृषि	0.0195 (हेक्टेयर)	0.0195
9	420	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
10	421	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
11	422	निजी	कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
गांव का नाम: मारूफपुर					
12	59	निजी	कृषि	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
गांव का नाम: सुरिस देहाती					
13	1412	निजी	कृषि	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
14	1611	निजी	कृषि	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
15	1647	निजी	कृषि	0.4338 (हेक्टेयर)	0.4338
16	1691	निजी	कृषि	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
17	265	निजी	कृषि	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
18	309	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
19	323	निजी	कृषि	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
20	356/1	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
21	358	निजी	कृषि	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
22	377	निजी	कृषि	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
23	382	निजी	कृषि	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162

24	383	निजी	कृषि	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
25	384	निजी	कृषि	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
26	385	निजी	एग्रीकल्चर	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
27	387	निजी	कृषि	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
28	391	निजी	कृषि	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
29	944	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
30	944/4228	निजी	कृषि	0.1538 (हेक्टेयर)	0.1538
31	955	निजी	कृषि	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
32	964	निजी	कृषि	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
33	979	निजी	कृषि	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
गांव का नाम: चक गोहरिया					
34	12	निजी	कृषि	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
35	13	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
36	14	निजी	कृषि	0.0735 (हेक्टेयर)	0.0735
37	17	निजी	कृषि	0.0189 (हेक्टेयर)	0.0189
38	38	निजी	कृषि	0.0376 (हेक्टेयर)	0.0376
39	39	निजी	कृषि	0.0496 (हेक्टेयर)	0.0496
40	41	निजी	कृषि	0.0564 (हेक्टेयर)	0.0564
41	42	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
42	48	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
43	49	निजी	कृषि	0.0654 (हेक्टेयर)	0.0654
44	50	निजी	कृषि	0.0582 (हेक्टेयर)	0.0582
45	52	निजी	कृषि	0.0154 (हेक्टेयर)	0.0154
Total					1.5748

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A/2022-23/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2934(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening/Four laning), maintenance, management and operation of NH-135A in the stretch of land from Km. 108.5 to Km. 139.00 for Widening to 4 lane from km. 108.50 to km 139.00 of NH-135A Pkg-II (Jaunpur – Akbarpur section) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (L&R)/Chief Revenue Officer, Jaunpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from km. 108.50 to km 139.00 of NH-135A Pkg-II (Jaunpur – Akbarpur section) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh

State: UTTAR PRADESH			District: JAUNPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shahganj					
Village: Kanwariya					
1	265	Private	Agriculture	0.037 (Hectare)	0.037
2	347	Private	Agriculture	0.0675 (Hectare)	0.0675
3	414	Private	Agriculture	0.0369 (Hectare)	0.0369
4	415	Private	Agriculture	0.0415 (Hectare)	0.0415
5	416	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
6	417	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
7	418	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
8	419	Private	Agriculture	0.0195 (Hectare)	0.0195
9	420	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
10	421	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
11	422	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
Village: Marroofpur					
12	59	Private	Agriculture	0.089 (Hectare)	0.089
Village: Suirish Dehati					
13	1412	Private	Agriculture	0.0009 (Hectare)	0.0009
14	1611	Private	Agriculture	0.0034 (Hectare)	0.0034
15	1647	Private	Agriculture	0.4338 (Hectare)	0.4338
16	1691	Private	Agriculture	0.0102 (Hectare)	0.0102
17	265	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
18	309	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
19	323	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
20	356/1	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
21	358	Private	Agriculture	0.0054 (Hectare)	0.0054
22	377	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
23	382	Private	Agriculture	0.0162 (Hectare)	0.0162
24	383	Private	Agriculture	0.0162 (Hectare)	0.0162
25	384	Private	Agriculture	0.0121 (Hectare)	0.0121
26	385	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018

27	387	Private	Agriculture	0.0162 (Hectare)	0.0162
28	391	Private	Agriculture	0.0116 (Hectare)	0.0116
29	944	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228
30	944/4228	Private	Agriculture	0.1538 (Hectare)	0.1538
31	955	Private	Agriculture	0.0121 (Hectare)	0.0121
32	964	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
33	979	Private	Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
Village: Chak Gohariya					
34	12	Private	Agriculture	0.0158 (Hectare)	0.0158
35	13	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
36	14	Private	Agriculture	0.0735 (Hectare)	0.0735
37	17	Private	Agriculture	0.0189 (Hectare)	0.0189
38	38	Private	Agriculture	0.0376 (Hectare)	0.0376
39	39	Private	Agriculture	0.0496 (Hectare)	0.0496
40	41	Private	Agriculture	0.0564 (Hectare)	0.0564
41	42	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
42	48	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
43	49	Private	Agriculture	0.0654 (Hectare)	0.0654
44	50	Private	Agriculture	0.0582 (Hectare)	0.0582
45	52	Private	Agriculture	0.0154 (Hectare)	0.0154
Total					1.5748

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A/2022-23/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director